

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3



अभिलेख उपस्थापित।

सुनीता देवी पति राजकुमार भुइया पिता रामचन्द्र राम, निवास स्थान ग्राम-चन्दवार, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम भुरकुण्डा रीभर साईड, थाना-भुरकुण्डा, जिला-रामगढ़ द्वारा छेडनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चन्दवार, थाना नं०-241, खाता संख्या-28, प्लॉट संख्या-821, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सरिता देवी पति महेन्द्र राम, निवास स्थान ग्राम-मटवारी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केला का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-353/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1572/रा० दिनांक 05.04.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 746 दिनांक 20.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार टॉड किरम की भूमि है। खतियानी रैयत लदुवा भुइया हैं खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.34 एकड़ भूमि है। पंजी-1। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.34 एकड़ भूमि है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.34 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.30 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई दिप्पणी तारीख
1	2	
	<p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुनीता देवी पति राजकुमार भुइंया पिता रामचन्द्र राम, निवास स्थान ग्राम-चन्दवार, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम भुस्कण्डा रीभर साईड, थाना-भुस्कण्डा, जिला-रामगढ़ को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चन्दवार, थाना नं०-241, खाता संख्या-28, प्लॉट संख्या-821, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सरिता देवी पति महेन्द्र राम, निवास स्थान ग्राम-मटवारी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	<p>उप</p> <p>प्रेषक.</p>